सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

16 अप्रील 2010

सं० स्था0(मु0)1–601/2006 (पार्ट–I)–20–सू0ज0स0वि0—भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत बिहार सूचना लिपिक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ— (1) यह नियमावली सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग बिहार सूचना लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सूचना केन्द्रों और प्रमंडलों एवं जिलों के कार्यालयों में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**–इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल,

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ग) "विभाग" से अभिप्रेत है सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

(घ) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

(ड.) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क, बिहार, तथा

(च) "संवर्ग" से अभिप्रेत है सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग का बिहार सूचना लिपिक संवर्ग।

अध्याय–2
भर्त्ती

3. **सेवा में भर्त्ती**— (1) सेवा में प्रवेश विन्दु निम्नवर्गीय लिपिक का पद होगा, जिस पर भर्त्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रिल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को 30 अप्रिल तक भेजी जायेगी। आयोग की अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।

(2) **पात्रता**—इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता– न्यूनतम प्रवेशिकोत्तीर्ण कम्प्यूटर या हिन्दी टंकण में पूर्ण ज्ञान होगी।

(3) आयोग द्वारा विज्ञापन निकालकर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तथा कम्प्यूटर एवं टंकण ज्ञान की व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर इस संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्ति के योग्य अभ्यर्थियों की एक मेधासूची तैयार की जायेगी और ऐसी तैयार की गई सूची में से प्रतिवेदित रिक्तियों के अनुकूल अनुशंसा की जायेगी। किसी अभ्यर्थी के योगदान न करने पर रिक्तियां अग्रणीत की जायेगी।

(4) नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(5) **वरीयता**—आयोग द्वारा तैयार की गई मेधासूची के क्रमानुसार आपसी वरीयता का निर्धारण हो सकेगा।

(6) **आरक्षण**—नियुक्ति में आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा, जो राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो।

(7) **सवंर्ग का कार्यक्षेत्र**—यह सवंर्ग राज्य संवर्ग होगा तथा इस संवर्ग के सदस्य का पदस्थापन राज्य के अन्दर इस विभाग के अन्तर्गत मुख्यालय/निदेशालय, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल एवं अन्य कार्यालयों में और राज्य या राज्य से बाहर स्थित सूचना केन्द्रों में किया जा सकेगा।

4. **परीक्ष्यमान अवधि**—नियम–3 के तहत भर्त्ती किए गए लिपिक को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जाएगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी, सुधार तथा आवश्यक स्तर के लिए परीक्ष्यमान अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। परीक्ष्यमान अवधि अथवा बढ़ायी गई अवधि में भी सेवा तथा कार्यकलाप संतोषजनक नही रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त लिपिक को सेवा समाप्त किया जा सकेगा। ऐसे लिपिकों की परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक पूरी होने तथा नियम–5 में उल्लेखित परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।

5. **विभागीय परीक्षा/संपुष्टि**—(1) बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम–157 में यथा विहित राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित लेखा परीक्षा के दोनों पत्रों में उतीर्ण होने पर सम्पुष्ट तथा प्रोन्नत किया जा सकेगा।

(2) राज भाषा निदेशालय द्वारा समूह 'ग' के लिए आयोजित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही प्रथम वेतन वृद्धि, प्राप्त हो सकेगी। यह परीक्षा उतीर्ण होने की तिथि से वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी, कोई बकाया देय नहीं हो सकेगा।

अध्याय–3
प्रोन्नति

6. **प्रोन्नति**— (1) इस संवर्ग में संपुष्ट एवं नियम–5 में उल्लिखित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर्मियों की प्रोन्नति उप–नियम (2) में उल्लिखित पद सोपानों में होगी।

(2) बिहार सूचना लिपिक संवर्ग के पद सोपान निम्नरूपेण विहित किये जायेंगे:–

क्र0	ग्रेड	वेतनमान (रुपये में)	स्तर	पदनाम	प्रोन्नत पद का प्रतिशत
1	2	3	4	4	5
क	ग्रेड– IV	3050–4590	मूल कोटि	निम्न वर्गीय सूचना लिपिक	50
ख	ग्रेड– III	4000–100–6000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	उच्च वर्गीय सूचना लिपिक	25
ग	ग्रेड– II	5000–150–8000	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	प्रधान सूचना लिपिक	20

क्र०	ग्रेड	वेतनमान (रुपये में)	स्तर	पदनाम	प्रोन्नत पद का प्रतिशत
1	2	3	4	4	5
घ	ग्रेड– I	5500–175–9000	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	कार्यालय अधीक्षक	5

(3) प्रोन्नति के प्रथम स्तर (उच्च वर्गीय सूचना लिपिक) में प्रोन्नति मूल कोटि की वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर होगी। प्रोन्नति के द्वितीय स्तर (प्रधान सूचना लिपिक) एवं तृतीय स्तर (कार्यालय अधीक्षक) पर प्रोन्नति योग्यता–सह–वरीयता के आधार पर होगी। सभी स्तरों की प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी।

(4) राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(5) विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे, जिनकी अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगा –

(क) निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग– अध्यक्ष

(ख) अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग– सदस्य

(ग) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जन–जाति के पदाधिकारी–सदस्य।

अध्याय–4
प्रकीर्ण

7. इस सेवा के लिए अन्य सेवा शर्तें यथा अनुशासनिक कार्रवाई, छुट्टी, देय सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि, जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है, या जो इस सेवा के लिए अलग से अधिसूचित नहीं है, वह बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, बिहार सेवा संहिता, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली तथा राज्य सरकार द्वारा एतद् विषयक समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत नियमावली, आदेश एवं परिपत्रों से नियंत्रित होगी।

8. राज्य सरकार को इस नियमावली में विहित प्रावधानों को यथा अपेक्षित संशोधित करने, व्याख्या करने का अधिकार होगा।

9. प्रशासी विभाग इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने एवं कार्यरूप देने के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुरूप आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया नियमावली बना सकेगा।

10. निरसन एवं व्यावृत्ति – (1) इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार सूचना लिपिक संवर्ग की पूर्व नियमावली, नियुक्ति, प्रोन्नति संबंधी परिपत्र/अनुदेश निरसित समझी जाएगी।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व की नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी परिपत्र/अनुदेश के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानों यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

(3) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से बिहार सूचना लिपिक संवर्ग के विभिन्न पदों जैसा कि अध्याय–3 के नियम 6 में परिभाषित है, पर नियुक्त एवं कार्यरत लिपिक स्वतः इस सेवा में शामिल एवं इस नियमावली के अधीन समझे जाएंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेश भूषण, सरकार के सचिव।

The 16th April 2010

No.- Stha (Mu.) 1-601/2006 Part-I -20-I&PRD—In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is please to make the following Rules to regulate the recruitment and promotion and service conditions of Bihar Information Clerical cadre under the Information and Public Relations Department.

CHAPTER-1
Preliminary

1. *Short title, extent and commencement* .—(1) These Rules may be called Information and Public Relations Department Bihar Information Clerk Cadre (Recruitment and service) Rules, 2010.

(2) These shall extend to Information Centers and Divisional and District Offices.

(3) These shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions.*—In these Rules, unless there is otherwise required in any context:-

(*a*) "Governor" means the Governor of Bihar,
(*b*) "Government" means the Government of Bihar,
(*c*) "Department" means the Information and Public Relations Department,
(*d*) "Commission" means Bihar Staff Selection commission,
(*e*) "Appointing Authority" means the Director, Information and Public Relations Department and
(*f*) "Cadre" Means the Bihar Information Clerk Cadre of the Information and Public Relations Department.

CHAPTER-2
Recruitment

3. *Recruitment to the Service* .—(1) The post of lower division Clerk shall be the entry point in the service to be filled up on the recommendation of the Commission. The requisition for vacancies till 1st April of every calendar year shall be sent to the Commission by 30th April. The recommendation of the Commission shall be valid for one year from the date of its receipt.

(2) **Eligibility :-** The minimum eligibility of candidate for appointment to the cadre shall be matriculate, full knowledge of Computer of Hindi typing.

(3) The Commission shall advertise the vacancies and merit list of eligible candidates on the basis of competitive examination and practical test of skill in computer and typing to be prepared for appointment of the basic grade of this cadre and recommendations as per reported vacancies to be made. The vacancies shall be carried forward in case any candidates fail to join the service.

(4) The minimum age for appointment shall be 18 years and the maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (Personnel and Administrative Reforms Department) from time to time.

(5) **Seniority :-** The inter se Seniority may be determined on the basis of the merit list prepared by the Commission.

(6) **Reservation :-** The rules of reservation as determined by the State Government from time to time shall be followed in appointment.

(7) **Functional zone of the cadre :-** It shall be a State cadre and the members of the cadre may be posted at Headquarter/Directorate, Division, District, Subdivision and other offices and information centers situated in the state of outside state under this Department.

4. *Probation Period* .—The clerk appointment under rule-3 shall be declared on probation from the date of appointment. The period of probation shall be of two years which may be extended maximum for a year for improvement and obtaining the requisite level. In case of unsatisfactory service and performance during the probation period or even in the extended period being unsatisfactory the clerk appointed on probation may be terminated from service. After satisfactory completion of the probation period and on passing the examination prescribed in rule-5 the service of such clerks may be confirmed.

5. *Department Examination/ Confirmation.*—(1) On passing both the papers of the Accounts examination held by the Board of Revenue as prescribed in rule-157 of the Board Miscellaneous Rules, the service may be confirmed and promotion may be granted.

(2) The first increment may be granted only after passing the Hindi Noting and Drafting Examination for group-c held by the Rajbhasha Directorate. The increment shall be admissible from the date of passing the examination but no arrear to be payable.

CHAPTER-3

Promotion

6. *Promotion* .—(1) The personnel confirmed in this cadre and passed in the examination mentioned in rule-5 shall be promoted in the hierarchy mentioned in sub-rule (2).

(2) The hierarchy of Bihar Information clerk cadre shall be prescribed follows :-

Sl. No.	**Grade**	**Pay Scale (in Rs.)**	**Level**	**Designation**	**Percentage of promoted post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
A	Grade- IV	3050-4590	Basic Grade	Lower Division Information Clerk	50
B	Grade- III	4000-100-6000	First ladder of promotion	Upper Division Information Clerk	25
C	Grade- II	5000-150-8000	Second ladder of promotion	Head Information Clerk	20
D	Grade- I	5500-175-9000	Third ladder of promotion	Office Superintendent	5

(3) The promotion of first level (in senior Division Clerk) shall be made on the basis of seniority-cum-merit of basic grade. Promotion of Second level (Principal information clerk) and Third level (Office Superintendent) shall be on the basis of merit-cum-seniority. Promotion of all levels be considered on the recommendations of the Departmental Promotion committee.

(4) The promotion may be considered on the completion of the qualifying period (Kalawadhi) prescribed from time to time by the State Government (Personnel and Administrative Reforms Department).

(5) The Departmental Promotion Committee shall comprise the following members and the promotion to be considered on the basis of the recommendations of the Committee :-

(*a*) Director, Information and Public Relations Department - Chairman

(*b*) Under Secretary/Deputy Secretary/Joint Secretary, Information and Public Relations Department - Member

(*c*) Officer of Scheduled Caste/Scheduled Tribe nominated by the Personnel and Administrative Reforms Department - Member

CHAPTER-4

Miscellaneous

7. The other service conditions, namely, disciplinary actions, leave, admissible retirement benefits, etc, which are not covered in these Rules, shall be governed by Bihar government Servant (classification, control and appeal) Rules, 2005, Bihar Service Code, Bihar Pensions Rules, Bihar Government Servant Conduct Rules and other relevant rules, orders and circulars issued by the state government from time to time in these matters.

8. The state government shall be empowered to amend the prescribed provision as required and to interpret those provisions.

9. The Administrative Department may make necessary regulations consistent with the provisions of the Rules to give effect and implement the provisions of these Rules.

10. *Repeal and Savings .—(*1) The earlier Rules, circulars/instructions regarding appointments and promotions of Bihar Information Clerk shall deemed to be repealed from the date of commencement of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any act done or any action taken in exercise of powers under the previous circulars/instructions regarding appointment/ promotion shall deemed to be done or taken under these Rules or in exercise of powers conferred under these Rules, as if, these Rules were in force on the date on which any such act was done or any such action was taken.

(3) The persons appointed and working on different posts of Bihar Information Clerk Cadre, as are defined in rule-6 of chapeter-3, prior to the date of commencement of these Rules shall deemed to be automatically included in this service and under these Rules.

By order of the governor of Bihar,
RAJESH BHUSHAN, *Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 06—571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egzette.bih.nic.in

अधि० स्था(मु0)विविध–13–21 / 2013 ....४८........ सू0ज0स0वि0 पटना दिनांक ..../....

अधिसूचना

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार सूचना लिपिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2010 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** –(1) यह नियमावली सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, सूचना लिपिक संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना केन्द्रो, प्रमंडलीय सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालयों एवं जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालयों में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2 उक्त नियमावली, 2010 के नियम 3 के उप नियम (1) एवं (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायगे –

"(1) बिहार सूचना लिपिक के 85% पद सीधी भर्त्ती से भरे जायेंगे और 15% पद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना केन्द्रो, प्रमंडलीय सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालयों एवं जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालयो में कार्यरत, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले समूह 'घ' के कर्मियों से वरीयता के आधार पर भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा। आयोग की अनुशंसा विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।"

"(2) बिहार सूचना लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।"

3 बिहार सूचना लिपिक नियमावली 2010, के नियम–6 के उप नियम–5 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा

"संवर्ग के प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रत्यय अमृत)
सरकार के सचिव